REGIONAL OFFICE



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer Email: rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-292/ 1854

Date: 11.07.2023

M/s Shree Vinayak Granites, R/o Jawahar Colony, Opposite Old RTO Office, Ajmer Road, Kekri, District Ajmer

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for Granite Cluster Mining Project, Total Cluster area 5.2165 Hectares, Total cluster production capacity 254968 TPA (ROM), Village Baghera, Tehsil Kekri, District Ajmer applied by M/s Shree Vinayak Granites, M.L. No. 103/2021.

Ref.:- Office of District Collector & District Magistrate, Ajmer letter no.12061 dated 10/07/2023.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 22/07/2023. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajeev Gandhi Seva Kendra, Baghera, Tehsil Kekri, District Ajmer at 11:00 AM on 21/08/2023 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

(Deepak Tanwar) Environmental Engineer &Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Instituional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
The Additional District Collector & District District Colle

2. The Additional District Collector & District Magistrate (I), Collectorate Office, Ajmer in compliance to letter no.12061 dated 10/07/2023.

Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एसपीएल-2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–292/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री विनायक ग्रेनाईट्स खनन पटट्र संख्या 103/2021 ग्राम बघेरा द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:--

6609 / 4558		114324
2 श्रीमती कमला देवी 32/2013 3.0 बघेर 3 मैसर्स सर्वम ग्रेनाईट एण्ड 45/2021 1.0246 बघेर	7 1120	49644 91000

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 5.2165 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता—254968 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम बघेरा, तहसील केंकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से

- और चूंकि मैसर्स श्री विनायक ग्रेनाईट्स खनन पटट्ा संख्या 103/2021 ग्राम बघेरा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
- उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न
 - 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
 - 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, ०४, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला—अजमेर।
 - 5. तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर।
 - 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के कअ / सामान्य / 2023 / 12061 दिनांक 10.07.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 21/08/2023 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मीखिक

ु इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते है।

> (दीपक तँवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी